भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4310
दिनांक 19 अगस्त, 2025/ 28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

चंडीगढ़ में सामूहिक आवास के प्रचालन में देरी

†4310. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 2021 में निर्माण पूरा होने के बावजूद, चंडीगढ़ का बौद्धिक रूप से निःशक्त वयस्कों के लिए पहला सामूहिक आवास (ग्रुप होम) गृह अभी भी चालू नहीं है और रिपोर्टों के अनुसार इसमें प्रारम्भ से लेकर अब तक सात वर्षों से अधिक की देरी हुई है;

(ख) उक्त सुविधा पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और भौतिक अवसंरचना के पूरा होने के बावजूद इसके अप्रचालित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस आवश्यक आवासीय सुविधा में कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रचालन में हुई अत्यधिक देरी के लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है;

(घ) उक्त संघराज्य क्षेत्र में सामूहिक आवास के लिए वर्तमान में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और मौजूदा प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में निःशक्तजन कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसे दीर्घ विलंब को रोकने के लिए निगरानी और स्तरोन्नयन हेतु कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 19 के अनुसार चंडीगढ़ में सामूहिक आवास (ग्रुप होम) की स्थापना की गई थी। सामूहिक आवास अब चालू है। सामूहिक आवास (ग्रुप होम) में भर्ती के लिए 37 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 योग्य आवेदकों का चयन किया गया और वर्तमान में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। इस पर लगभग कुल ₹24 करोड़ का व्यय हुआ है। योजनाओं में निगरानी की एक अंतर्निहित व्यवस्था होती है। राष्ट्रीय स्तर

पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड भी नीतियों, कार्यक्रमों, आदि की निगरानी और मूल्यांकन करता है।

******